

F (9) Rejection Appeal-I 2 2 9

9 9 2 2

2 Vedanta Super Speciality Hospital-Jaip92

-

Vedanta Super Speciality Hospital-Jaip92

2 2 2

Vedanta Super Speciality Hospital-Jaip92

F (9) Rejection Appeal-I 2 2 9

9 9 2 2

-

2

- -



Vedanta Super Speciality Hospital-Jaip92	

Vedanta Super Speciality Hospital-Jaip921 ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा गलत आधार पर निरस्त किए गए क्लेम के प्रकरण में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत अपील पर सुनवाई दिनांक 28/07/2021 को की गई, जिसमें निम्न व्यक्ति उपस्थित रहे:-

- Dr santosh kumar (dr santosh physician@gmail com)
- Dr Mithlesh Rewaria (bsbynia@gmail com)
- ex party (vedantasuperspeciality@gmail com)

बैठक में **Vedanta Super Speciality Hospital-Jaip921** ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा गलत किए गए 1 क्लेम के लिए प्रस्तुत अपील पर विचार किया गया। बीमा कंपनी एवं राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा क्लेम की समीक्षा करने पर अपील में प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य एवं दोनों पक्षों को सुनने के बाद कमेटी द्वारा संलग्न तालिका के कॉलम संख्या 9 एवं 10 के अनुसार निर्णय प्रदान किया गया। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

S.No.	Decisions	No of Cases
1	Re-open & pay	0
2	Re-open & Query	0
3	Rightly Rejected	1

अपील की पालना के सम्बन्ध में दिशानिर्देश: -

A. बीमा कम्पनी के लिए:-

बीमा कंपनी को यह भी निर्देशित किया गया कि इस संबंध में की गई कार्यवाही से दिनांक 26/09/2021 तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराएं। यदि बीमा कंपनी द्वारा उक्त निर्णय की पालना इस आदेश के जारी होने से दिनांक 26/09/2021 तक नहीं की जाकर सूचित नहीं किया जाता है, तो RSHAA द्वारा अनुबंध के प्रावधान संख्या 1.28.4 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

B. अस्पताल के लिए:-

यदि बीमा कंपनी द्वारा दिनांक 26/09/2021 तक उपरोक्त निर्णयानुसार कार्यवाही संपादित नहीं की जाती है, तो अस्पताल को अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल अवगत करावें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।



(J RSHAA)



8/07/ 0

S.No.	TID	Appeal No.	Pkg Code	Pkg Rate	Patient	Remarks of NIA	Remark of Hospital	Decision	Detailed Decision
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	T2810184663816	2019/094290	19100009A - 00	15000	Meghraj Yadav	count of three BIO-METRIC identification attempts could not be seen in this TID hence case rejected 7	count of three BIO-METRIC identification attempts	Rightly Rejected	three biometric attempt not seen hence rejected.

Printed On : 19-09-2021 02:50:56 PM

